कार्यालय
बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति, वैशाली
निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2019

निदेशक, म0भो0यो0, बिहार, पटना के पत्रांक 2226 दिनांक 20.11..2017 एवं ज्ञापांक 1218 दिनांक 10.07.18 के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिये संवेदकों का चयन किया जाना है। वैशाली जिले के 07 (सात) प्रखंड यथाः 01.भगवानपुर, 2.चेहराकलां, 3.राजापाकर, 4.सहदेई बुजुर्ग, 5.महनार, 6.राघोपुर एवं 7.देसरी (20 विद्यालय हेतु) में मध्याहन भोजन योजना के खाद्यान्न (चावल) को राज्य खाद्य निगम के गोदामों से उठाकर विद्यालयों के भंडारगृह तक पहुँचाने हेतु संवेदकों के चयन के लिये निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा संबंधी आवेदन के साथ आवेदकों को निम्नांकित कागजात जमा करना आवश्यक होगा एवं निविदा हेतु शर्तें निम्नांकित होगी–

01. निविदादाताओं को 15 (पन्द्रह) पंचायत तक के प्रखंड हेतु 05 (पाँच) ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 (पन्द्रह) पंचायत से अधिक प्रखंड हेतु 08 (आठ) ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा, की चयन की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखंड में मध्याहन भाजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना अनिवाय होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा (1000/–रू0 के नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रत्येक वाहन के लिये अलग–अलग) खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेगें। सिर्फ व्यवसायिक वाहन का एकरारनामा मान्य होगा।
02. वाहन के एकरारनामा से संबंधित आवश्यक कागजात यथा ऑनर बुक, इन्श्यूरेन्श, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य कागजात की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित कर निविदाता द्वारा निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं होगा। जिला मध्याहन भोजन योजना द्वारा वाहन के कागजातों की जांच जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा, कि सभी वाहन व्यवसायिक कार्य के लिये है।
03. निविदादाता को 50000/–रू0 (पच्चास हजार) अग्रिम सुरक्षित राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा, जो बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति, वैशाली के नाम से देय होगा, जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भो0यो0, वैशाली के कार्यालय के खाता में जमा रहेगा। जिन निविदादाता का चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाता को एक माह के अन्दर अग्रिम सुरक्षित राशि 50000/–रू0 (पच्चास हजार) विभागीय नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।
04. समय पर कार्य में असफल होने/किसी भी प्रकार का आरोप गठित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की सुरक्षित जमा राशि 50000/–रू0 (पच्चास हजार) जब्त कर ली जायेगी।
05. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
06. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एकही प्रखंड के लिये निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखंड के लिये निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखंड का ऑप्सन देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
07. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहन का उपयोग किया जायेगा। ढुलाई कार्य से प्रयुक्त वाहनों पर मध्याहन भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भो0यो0 एवं संबंधित प्रखंड साधन सेवी, म0भो0यो0 का मोबाईल नं0 लिखा होना अनिवार्य होगा।
08. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा की "मैं कोई निर्वाची जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना का कर्मचारी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना का कर्मचारी नहीं है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
09. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा की "वह कहीं से काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में नहीं है तथा निविदा में संलग्न कागजात की सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
10. राज्य खाद्य निगम से **FAQ (Fair Average Quality)** गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूटचार्ट तैयार किया जायेगा। रूटचार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।
11. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ तीन कलर फोटो, आई0डी0 प्रुफ/आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति को स्वः अभिप्रमाणित कर निश्चित रूप से निविदा में संलग्न करना होगा।
12. संवेदक को **Weighing Machine** से तौलकर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा वाहन में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल लगाना अनिवार्य होगा।
13. संवेदक का चयन जिस प्रखंड के लिये किया जायेगा उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखंड के लिये मान्य होगा।
14. सामान आहर्ता होने की स्थिति में संवेदक का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
15. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में BSFC द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दंड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी किया जायेगा।
16. गोदाम से चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी, म0भो0यो0 एवं संवेदक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिये प्रखंड साधन सेवी, म0भो0यो0 एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। गोदाम से निर्धारित मात्रा में चावल का उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी प्रखंड साधन सेवी, म0भो0यो0 एवं संवेदक की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। SIO के आधार पर प्रखंड साधन सेवी, म0भो0यो0 एवं संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से रा0खा0नि0 के गोदाम से मध्याहन भोजन याजेना के लिये खाद्यान्न का उठाव करेंग। विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के बाद प्रधानाध्यापक की प्राप्ति रसीद के आधार पर प्रखंड की समेकित सूची बनेगी जिसे प्रखंड साधन सेवी, म0भो0यो0 के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। तदनुसार राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाकर विद्यालयों तक पहुँचाये गए कुल खाद्यान्न की मात्रा जो प्रखंड साधन सेवी द्वारा सत्यापित होगी के आधार पर प्रति क्विंटल 40/– रू0 की दर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भो0यो0, वैशाली द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात् संवेदक को परिवहन सह हथालन की राशि का भुगतान किया जायेगा।
17. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एक बार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिये ही किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इसपर अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।
18. निविदा विज्ञापन प्रकाशित होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना समिति, वैशाली के कार्यालय, पता–शकुन्तला सदन C/O स्व0 महेश्वर सिंह, मुहल्ला बागदुलहन, हाजीपुर, जिला वैशाली 844101 को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति मे सामान्य डाक से अथवा हाथो–हाथ निविदा स्वीकार नहीं होगा। साथही निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा संवेदक चयन समिति एवं सभी निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी तथा चयनित संवेदकों का एकरारनामा संबंधित प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी, म0भो0यो0 के साथ किया जायेगा।
19. निविदादाता द्वारा लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में प्रखंड का नाम (जिस प्रखंड हेतु निविदा डाला जा रहा है), अपना पुरा पता (पिन कोड सहित) एवं मोबाईल नं0 अंकित अनिवार्य होगा।
20. संवेदक चयन के लिये समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा निविदा को रद्द करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
21. निविदादाता विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही अपना निविदा डालेंगे। निर्धारित प्रारूप जिला कार्यालय, म0भो0यो0, वैशाली के सूचना पट्ट पर अथवा **www.vaishali.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है

10/06/19

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह–सदस्य सचिव
संवेदक चयन समिति, म0भो0यो0, वैशाली

10.06.

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–सदस्य
संवेदक चयन समिति, म0भो0यो0, वैशाली

28/6/19

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
संवेदक चयन समिति, म0भो0यो0, वैशाली

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, ...।
संवेदन चयन हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा प्रत्र।

1. आवेदित प्रखंड का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम :– ....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :– ....
4. उम्र (जन्म तिथि) :– ....
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :– ....
6. ईमेल पता (अनिवार्य) :– ....

हाल ही का खीचा हुआ एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

7. स्थायी पता :– ....

ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना –..................................

प्रखण्ड – .... जिला – .... राज्य– ....

पिन कोड– ....

8. पत्राचार का पता :–..

ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना –..................................

प्रखण्ड – .... जिला – .... राज्य– ....

पिन कोड– ....

9. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ/नहीं) :– .... ।

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट की राशि

10. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ/नहीं) :– .... ।

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पता	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र. जारी करने की तिथि	तीन माह के अंदर का है या नहीं

11. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ/नहीं) :– .... ।

12. तीन माह के अंदर का दो रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न (हाँ/नहीं) :– .... ।
(एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्य अनुभव (हाँ/नहीं) :– ....।

पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना मे कार्य किया गया है।	कब से कब तक कार्य किया गया है, तिथि	कार्य संतोषजनक/असंतोषजन	इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पदनाम	संबंधित प्रमाण पत्र
				पृ०सं० ....

13. कुल एकरारनामा वाले वाहनो की संख्या :– निजी वाहन ____ अन्य वाहन ____ कुल वाहन ____

क्र० सं०	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	संबंधित वाहन के कागजात/अभिलेख
1.							पृ.सं. .... से .... तक
2.							पृ.सं. .... से .... तक
3.							पृ.सं. .... से .... तक
4.							पृ.सं. .... से .... तक
5.							पृ.सं. .... से .... तक
6.							पृ.सं. .... से .... तक
7.							पृ.सं. .... से .... तक
8.							पृ.सं. .... से .... तक

14. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।
15. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।
16. परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हाँ/नहीं) :– ....।
(यदि हाँ तो, किनके नाम से .... एवं आपसे संबंध ....)
17. किसी भी प्रकार का आपराधिक/न्यायिक मामला है (हाँ/नहीं) :– ....।
18. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, ... के साथ सभी अनुमान्य शर्तो के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हाँ/नहीं) :– ....।
19. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :–
(क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (उपर से नीचे तक) :– ....।
(ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (नीचे से उपर तक) :– ....।

"मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात/अभिलेख गलत पाई जाती है तो विभाग मेरा चयन रदद् करते हुए मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा"।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता